भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2644
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- तमिलनाडु में पीएमएफबीवाई का कार्यनिष्पादन

2644. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और विशेषरूप से तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या कितनी है;
(ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान किसानों से एकत्र किया गया कुल अधिमूल्य कितना है और इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के अंशदान का ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमएफबीवाई के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए, स्वीकृत किए गए और निपटाए गए दावों की संख्या कितनी है, साथ ही विभिन्न राज्यों में दावों के निपटान में लगने वाला औसत समय कितना है;
(घ) क्या तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा दावों के निपटान में विलंब और पात्र मुआवजा न मिलने के मामले सामने आए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई के अंतर्गत पारदर्शिता, शिकायतों के निवारण और दावों के समय पर भुगतान में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही योजना को और सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत नामांकित किसानों की संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, तमिलनाडु के कल्लकुरुचि जिले में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत 8,73,793 किसानों के आवेदन दर्ज किए गए।

(ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत कार्यान्वित एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली/निविदा प्रीमियम दरें वसूल की जाती हैं। हालाँकि, इस सीजन के लिए पूरे देश में बहुत कम प्रीमियम दर खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% बीमा राशि निर्धारित है। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को सहायता के रूप में दिया जाता है ताकि यह योजना किसानों के लिए वहनीय हो सके।

खरीफ 2023 से, मानक PMFBY के अलावा तीन वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल (ARTM) कार्यान्वित किए गए हैं, जिनमें कप एंड कैप मॉडल (80:110), कप एंड कैप मॉडल (60:130) और लाभ-नुकसान साझाकरण मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों के तहत, एक निश्चित सीमा से कम दावों के मामले में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा सरकार को वापस चला जाएगा, और सीमा से अधिक दावों के मामले में, सरकार को अतिरिक्त दावों का भुगतान करना

होगा। राज्य और केंद्र सरकार की कुल देयता राज्य के विभिन्न क्लस्टरों में उत्पन्न कुल दावों और राज्य द्वारा अपनाए गए ARTM मॉडल पर निर्भर करती है, जिसके आधार पर अतिरिक्त प्रीमियम वसूली योग्य हो जाता है या दावा संबंधी देयता देय हो जाती है।

इस योजना के तहत पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा किसानों, राज्यों और केंद्र सरकार से एकत्र किया गया कुल प्रीमियम क्रमशः 18,351.69 करोड़ रुपये, 66,177.87 करोड़ रुपये और 55,738.64 करोड़ रुपये है, जिसमें से 15,552.29 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों द्वारा राज्यों और केंद्र सरकार को ARTM के तहत वापस कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ): इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान सूचित कुल दावे और भुगतान किए गए दावे क्रमशः 91,318.21 करोड़ रुपये और 86,731.59 करोड़ रुपये हैं।

योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के तहत बीमा कंपनियों द्वारा अधिकांश दावों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाता है। हालांकि, तमिलनाडु सहित कुछ दावे लंबित रह गए जिनमें तमिलनाडू के दावे भी शामिल हैं। इसका मुख्य कारण नामांकित किसानों के बैंक खातों के विवरण का सत्यापन न होना है।

योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में दी गई समय-सीमा के अनुसार, बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दावों की गणना और बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होता है। यदि उपरोक्त उल्लिखित समय सीमा के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः ही गणना करके NCIP के माध्यम से खरीफ 2024 सीजन से कार्यान्वित किया जाएगा।

(ङ): सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने, कवरेज बढ़ाने, शिकायतों का निवारण करने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का पालन किया गया है।:

(i) : योजना के अंतर्गत दावों के समय पर निपटान के लिए:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, सूचना प्रसार, किसानों के ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं के वितरण, व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण को अपलोड करने/प्राप्त करने और दावे की राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के लिए एक एकल डेटा स्रोत के रूप में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के विकसित करने का कार्य शुरू किया है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक विशेष मॉड्यूल को क्रियान्वित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान हो सके।

- खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः ही गणना करके NCIP के माध्यम से लगाया जाता है।

- केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में दिए जाने वाले हिस्से को राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।

- राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी में राज्य के हिस्से को जारी करने में देरी होने पर खरीफ 2025 से 12% का जुर्माना भी लगाया जाता है।

- वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।

- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को **CCE-Agri App** के माध्यम से एकत्र करने और इसे NCIP पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देने, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करने और यस-टेक के माध्यम से रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान के उपयोग जैसे विभिन्न कदम किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं।

- फसल नुकसान आकलन ऐप (CLAP) को एक डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय आपदाओं/फसलोपरांत नुकसान के आकलन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है। यह ऐप फसल नुकसान आकलन योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्तिगत खेतों और भू-खंडों के लिए है। इस योजना के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए CLAP का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

- उपज का सही आकलन करने और सटीक फसल उपज अनुमान सुनिश्चित करने के लिए रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर क्रमिक रूप से आगे बढ़ने के लिए यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली)। धान और गेहूं की फसलों के लिए खरीफ 2023 से यह पहल शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% वेटेज अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 से इसमें शामिल किया गया है।

(ii) शिकायत निवारण में सुधार लाने के उद्देश्य से:

- योजना के संशोधित प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र, जैसे कि जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) का प्रावधान किया गया है।

- कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: दिनांक 24.07.2026 तक वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए नामांकित किसान आवेदनों का राज्यवार विवरण

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दर्ज आवेदन (लाख में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01
आंध्र प्रदेश	368.76
असम	48.70
छत्तीसगढ	380.29
गोवा	0.02
हरियाणा	491.88
हिमाचल प्रदेश	20.78
जम्मू और कश्मीर	9.76
झारखंड	50.11
कर्नाटक	150.66
केरल	8.73
मध्य प्रदेश	824.82
महाराष्ट्र	778.92
मणिपुर	0.21
मेघालय	1.59
मिजोरम	0.01
ओडिशा	581.75
पुदुचेरी	1.87
राजस्थान	1,881.54
सिक्किम	0.15
तमिलनाडु	284.61
त्रिपुरा	11.87
उत्तर प्रदेश	391.08
उत्तराखंड	12.84
कुल	**6,300.97**
